Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

जसवंत सिंह वगै. बनाम चरणजीत कौर वगै.

किस्म मुकदमा :– 212 आर.टी.एक्ट

नं. मुकदमा ~~1286~~ 402 / 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.09.2022	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिश्ते की होकर प्रस्तुत होने पर अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थीगण को रजि. एडी. जरिये नोटिस तलब किया जावे। इसके पश्चात् वकील प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र पर इकतरफा बहस सुना गया। वकील प्रार्थीगण ने बहस द्वारा अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया । पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत रिकार्ड व प्रार्थीगण के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता हैं। अतः प्रकरण में आरजीतौर पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण मौजा रोही उच्छरंगदेसर खाता नम्बर 68/51 के खसरा नम्बर 144 में 5.060 हैक्टेयर भूमि को रहन बेय न करे एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। प्रार्थीगण सीपीसी आदेश 39 नियम 3 की पालना करें। यह आदेश DILRMP एवं भारतमाला प्रोजेक्ट से सम्बन्धित भूमि, रास्ता एवं रोडा एक्ट से प्रभावी भूमि के सम्बन्ध में प्रभावी नहीं होंगे। इसमें यदि अप्रार्थीगण को कोई उज्र या ऐतराज हो तो नियत पेशी को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें। तहरीर अलग से जारी होकर पत्रावली आयन्दा वास्ते तलबी दिनांक 19.10.2022 को पेश हो।	जारी 832 13/9/22
19/10/22	पत्रावली पेश हुई । पी.आ. अवकाश । अन्य कार्यों में व्यस्त आयन्दा पत्रावली दिनांक 21/10/22 को पेश हो। रीडर	
21.X.22	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रार्थनापत्र के पूर्व में पेश जवाबी प्रति प्रार्थी वकील को की गई, पक्षकारों के मध्य बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेज एवं बहस के आधार पर सुविधा का संतुलन प्रार्थी पक्ष के पक्ष में नहीं होकर, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा RTA 212 सही पाया जाकर [illegible] पत्रावली निर्णय हेतु [illegible] पर पेश की जावे। उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramnath Sharma
Date: 2022.10.31 11:33:42 IST
Reason: SelfAttested